राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
''वित्त भवन'' जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं.:–0141–2740837, फैक्स 0141–2742309, ई मेल:–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(के–218/83)/अलेसे–III/5590-5600 दिनांक :– 17/03/25

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.4(ई)से.नि./अलेसे–III/37, आदेश संख्या 206/2015–16 दिनांक 10.03.2016 द्वारा क्रम संख्या 01 पर अंकित श्री केसरी चन्द सेठिया (लिंक न. 1169) के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.07.2016 से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश न्यायिक कार्यवाहियां एवं विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित होने के विशेष विवरण सहित जारी किये गये थे।

कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 1725–27 दिनांक 15.06.2023 के अनुसार अपराध संख्या 120/2005 विरूद्ध श्री केसरी चन्द सेठिया, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील कार्यालय फतेहगढ, जिला जैसलमेर में माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), सं.–2, जोधपुर के पारित निर्णय दिनांक 29.11.2022 द्वारा श्री केसरीचन्द सेठिया, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार, तहसील कार्यालय फतेहगढ़, जिला जैसलमेर को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया था। उक्त निर्णय के संबंध में राज्य सरकार/विधि विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा सक्षम स्तर से उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील पेश नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से प्राप्त पत्रांक 1446–49 दिनांक 07.06.2024 के अनुसार अपराध संख्या 120/2005 विरूद्ध श्री केसरी चन्द सेठिया, कनिष्ठ लेखाकार (हाल सेवानिवृत्त), तहसील कार्यालय फतेहगढ, जिला जैसलमेर को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), सं.–2, जोधपुर के पारित निर्णय दिनांक 29.11.2022 के द्वारा दोषमुक्त किये जाने के दृष्टिगत मण्डल स्तर पर विचाराधीन उक्त प्रकरण को समाप्त किया गया है।

श्री विजय सिंह नाहटा, आर.ए.एस. तत्कालीन तहसीलदार, फतेहगढ़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अन्तर्गत समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 21.11.2014 अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर आरोप पत्र/आरोप विवरण पत्र जारी किये गये एवं श्री प्रताप सिंह राव, तत्कालीन तहसीलदार, फतेहगढ़, श्री केसरी चन्द सेठिया, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार एवं श्री नखताराम, कनिष्ठ लिपिक, तहसील फतेहगढ के विरूद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर के ज्ञापन क्रमांक 11(128)विजा/राम/2006 दिनांक 26.07.2007 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16/18 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही को विभागीय आदेश दिनांक 21.11.2014 एडोप्ट कर प्रारम्भ की गई। प्रकरण में श्री केसरी चन्द सेठिया, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार (हाल सेवानिवृत्त), के संदर्भ में निम्नानुसार निर्णय कार्मिक (क–3/जांच) विभाग से प्राप्त आदेश क्रमांक प.1(77)कार्मिक/क–3/जांच/2011 दिनांक 13.02.2025 के द्वारा लिया गया है '' माननीय राज्यपाल प्रस्तुत प्रकरण में उपर्युक्त विवेचन एवम् अभिलेखीय दस्तावेजों के आधार पर श्री केसरी चन्द सेठिया, (हाल सेवानिवृत्त) तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार पर अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं होने के फलस्वरूप श्री केसरी चन्द सेठिया के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के इस प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किये जाने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते हैं। '' इस प्रकार श्री सेठिया के विरूद्ध जारी संयुक्त जांच को समाप्त किया जा चुका है।

F:\JRA,AAO-II old dealing data\letter.docx129

अतः जांच समाप्त होने के परिणामस्वरूप वित्त विभाग (नियम) शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि अब श्री केसरी चन्द सेठिया, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाकार के विरूद्ध आज तक :–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई)(के–218/83)/अलेसे–III/5590-5600
दिनांक :– 17/03/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–3/जांच) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. उप निबन्धक, (जांच), राजस्व मण्डल, अजमेर, राजस्थान।
4. उपनिदेशक/परियोजना निदेशक, कृषि अनुसंधान, सीएडी एवं एडीपी विभाग, बीकानेर।
5. उपनिदेशक (जांच)/उपविधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
6. श्री केसरी चन्द सेठिया, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाकार।
7. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
11. संस्थापन अनुभाग।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)

F:\JRA,AAO-II old dealing data\letter.docx130